कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी के निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते है :–

क्र.सं.	नाम कार्मिक	कहां से (राउमावि)	जिला	कहां को (राउमावि)	जिला
1	करणदान रतनू	देवीकोट– जैसलमेर	जैसलमेर	धऊवा– जैसलमेर	जैसलमेर

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 25.09.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। उक्त **कार्मिक को योगकाल व यात्रा भत्ता देय नही होगा** । जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) की आज्ञा कमांक–प.5(1)प्रसु/अनु–1/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 31.07.2018 के दिशा निर्देशो के अनुरूप निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिको को दिनांक–27.09.2018 के पश्चात कार्यमुक्त करें । RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें एवं निदेशालय को सूचित किया जावें। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/दिव्यांग कार्मिक के विरूद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें अन्यथा प्रभारी संस्था प्रधान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। पद विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उप निदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतिक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक : शिविरा–माध्य/संस्था/सी–7/स्थानान्तरण/हिन्दी/2018 दिनांक : 18-09-18

प्रतिलिपि :– प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा
4. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक
5. सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दपर्ण को तत्काल अद्यतन
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी के निम्नांकित कार्मिक दिव्यांग(पूर्णतया दृष्टिहीन) होने के कारण इनका स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	कहां से (राउमावि)	जिला	कहां को (राउमावि)	जिला
1	हन्नी कुमार कटारिया	कोहला-हनुमानगढ	हनुमानगढ	ओसिया- जोधपुर	जोधपुर
2	प्रज्ञा राठौड	श्रीनगर-हनुमानगढ	हनुमानगढ	बा0 ओसिया-जोधपुर	जोधपुर

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 25.09.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/सी-7/स्थानान्तरण/हिन्दी/2018 दिनांक : 18-09-18

प्रतिलिपि :- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यनिक/प्रारंभिक शिक्षा
4. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक
5. सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दपर्ण को तत्काल
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक
8. रक्षित पत्रावली

www.rajteachers.com

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/स्थानांतरण/हिन्दी/2018 दिनांक–13.8.18 के द्वारा जारी व्याख्याता हिन्दी के स्थानांतरण आदेशों में श्री मुकेश बारूपाल, व्याख्याता हिन्दी का स्थानांतरण राउमावि धऊवा–जैसलमेर से राउमावि करडा–आनंदपुरी बांसवाडा किया गया था ।

उक्त स्थानांतरण के विरूद्ध श्री बारूपाल द्वारा दायर माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील सं. 527/2018 में माननीय अपील अधिकरण के निर्णय दिनाक–24.08.18 की पालना में श्री बारूपाल का दिनांक–13.08.2018 के द्वारा राउमावि धऊवा जैसलमेर से राउमावि करडा–आनंदपुरी बांसवाडा किया गया आदेश इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक–18.09.2018 द्वारा निरस्त किया गया ।

माननीय अधिकरण द्वारा निर्णय दिनांक–24.08.2018 में विभाग को प्रार्थी का नवीन स्थानांरतण करने की छूट प्रदान की गई है । अतः विभाग की आवश्यकता एवं छात्र–हित में श्री मुकेश बारूपाल का स्थानांरतण राउमावि धऊवा जैसलमेर से नवक्रमोन्नत राउमावि जोरसिंह की ढाणी जैसलमेर किया जाता है । उक्त स्थानांतरण पर श्री बारूपाल को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा ।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7 /स्थानांतरण/हिन्दी/2018 दिनांक:– 18-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 . संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संबधित उपनिदेशक माध्यमिक जोधपुर
3. ज.शि.अ. माध्यमिक जैसलमेर
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर/कार्यालय हाजा
4. प्रधानाचार्य राउमावि राउमावि धऊवा जैसलमेर/जोरसिंह की ढाणी, जैसलमेर
5. सम्बन्धित व्याख्याता
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/स्थानांतरण/हिन्दी/2018 दिनांक–13.8.18 के द्वारा जारी व्याख्याता हिन्दी के स्थानांतरण आदेशों में श्री मुकेश बारूपाल, व्याख्याता हिन्दी का स्थानांतरण राउमावि धऊवा–जैसलमेर से राउमावि करडा–आनंदपुरी बांसवाडा किया गया था ।

उक्त स्थानांतरण के विरूद्ध श्री बारूपाल द्वारा माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील सं. 527/2018 दायर की गई । अपील में श्री बारूपाल द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश में यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिये जाने को चुनौती दी गई । माननीय अपील अधिकरण ने प्रकरण में दिनाक–24.08.18 को निर्णय पारित करते हुए विभाग के स्थानांतरण आदेश को श्री मुकेश बारूपाल के सम्बन्ध में अपास्त करते हुए विभाग को नियमानुसार नवीन आदेश प्रसारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की । अतः माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक–24.08.18 की पालना में श्री बारूपाल का दिनांक–13.08.2018 के द्वारा राउमावि धऊवा जैसलमेर से राउमावि करडा–आनंदपुरी बांसवाडा किया गया आदेश निरस्त किया जाता है ।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7 /स्थानांतरण/हिन्दी/2018 दिनांकः– 18-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 . संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संबधित उपनिदेशक माध्यमिक जोधपुर
3. ज.शि.अ. माध्यमिक जैसलमेर
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर/कार्यालय हाजा
4. प्रधानाचार्य राउमावि राउमावि धऊवा जैसलमेर/करडा बांसवाडा/
5. सम्बन्धित व्याख्याता
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा के श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, व्याख्याता स्कूल शिक्षा संस्कृत महाराजा राबाउमावि किशनपाल छोटी चौपड जयपुर स्थानान्तरणधीन पहाड़ी निवाई टोंक का प्रशासनिक कारणों एवं राज्यहित में स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से राउमावि मोर टोडारायसिंह टोंक में व्याख्याता संस्कृत के रिक्त पद पर किया जाता है।

इन्हें नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 25-9-2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनकी कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर दर्ज करावें एवं इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/मा/संस्था/सी–1/अंग्रेजी–संस्कृत/स्थानान्तरण/2018 दिनांक : 17-9-2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) टोंक
3. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि मोर टोडारायसिंह टोंक
4. संबंधित कार्मिक श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा व्याख्याता संस्कृत
5. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

Order

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/ स्थानान्तरण/संस्कृत/2018 दिनांकः 27.05.18 द्वारा श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, व्याख्याता संस्कृत को महाराजा राबाउमावि किशनपाल छोटी चौपड़ जयपुर से आदेशों की प्रतिक्षा में किया जाकर आदेश क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–1एपीओ/अंग्रेजी–संस्कृत/2018 दिनांक 06.06.2018 द्वारा राउमावि पहाड़ी निवाई टोंक में पदस्थापित किया गया था। श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा उक्त आदेश दिनांकः 27.05.18 एवं 06.06.2018 के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2547/2018 श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रस्तुत की गई। अपील संख्या 2547/2018 में पारित निर्णय दिनांकः 23.08.2018 से माननीय अधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश दिनांकः 27.05.18 एवं 06.06.2018 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया गया है ।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/स्थानान्तरण/ संस्कृत/2018 दिनांकः 27.05.18 एवं 06.06.2018 को अपीलार्थी श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा की सीमा तक निरस्त किया जाता है।

www.rajteachers.com

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी–संस्कृत/2018 दिनांक : 17-9-2018

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Order

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा के श्री गजेसिंह सामरिया, व्याख्याता स्कूल शिक्षा अंग्रेजी, राउमावि रूण, नागौर का प्रशासनिक कारणों एवं राज्यहित में स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से राउमावि आकोदा, मोलासर, नागौर में व्याख्याता अंग्रेजी के रिक्त पद पर किया जाता है।

श्री गजेसिंह को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर इनकी कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर दर्ज करावें एवं इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा / मा / संस्था / सी–1 / अंग्रेजी–संस्कृत / स्थानान्तरण / 2018 दिनांक : 17-9-2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I / II), नागौर
3. प्रधानाचार्य, राउमावि रूण, नागौर / राउमावि आकोदा, मोलासर, नागौर
4. श्री गजेसिंह सामरिया, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि रूण, नागौर
5. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

Order